अध्याय – 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

कार्यकारी सार

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। ये लेखे भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन भी हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। 31 मार्च 2012 को हरियाणा राज्य में 22 कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (20 कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम) तथा सात गैर–कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे। राज्य कार्यचालन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यूज), जिनमें 0.36 लाख कर्मचारी नियुक्त थे, ने अपने अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार 2011–12 हेतु ₹ 21,465.56 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। यह आवर्त, अर्थव्यवस्था में पी.एस.यूज द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.99 प्रतिशत के बराबर था। तथापि, कार्यचालन पी.एस.यूज ने 2011–12 हेतु ₹ 2,541.24 करोड़ की हानि उठाई जबकि सभी पी.एस.यूज ने ₹ 8,622.09 करोड़ की समग्र हानियां संचित की।

पी.एस.यूज में निवेश

31 मार्च 2012 को 29 पी.एस.यूज में निवेश (पूंजीगत तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 30,881.66 करोड़ था। यह 2006–07 में ₹ 12,311.41 करोड़ से 150.84 प्रतिशत तक बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र ने 2011–12 में कुल निवेश का लगभग 94 प्रतिशत परिगणित किया। सरकार ने 2011–12 के दौरान साम्या, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों की ओर ₹ 8,047.35 करोड़ का अंशदान दिया।

पी.एस.यूज का निष्पादन

वर्ष 2011–12 के दौरान 22 कार्यचालन पी.एस.यूज में से 17 पी.एस.यूज ने ₹ 298.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पांच पी.एस.यूज ने ₹ 2,840.04 करोड़ की हानि उठाई। लाभ के प्रमुख अंशदाता हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 140.07 करोड़) तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 69.95 करोड़) थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,011.24 करोड़) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 794.22 करोड़) द्वारा भारी हानियां उठाई गई थी।

हानियां मुख्यतः पी.एस.यूज के क्रियाकलाप में विभिन्न त्रुटियों को आरोप्य हैं। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के अन्ततम तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य पी.एस.यूज की ₹ 3,261.79 करोड़ की हानियां तथा ₹ 247.16 करोड़ के निष्फल निवेश, कुशल प्रबंध से नियन्त्रणीय थे। इस प्रकार, क्रियाकलाप में सुधार करने तथा हानियों को न्यूनतम/विलुप्त करने के लिए व्यापक क्षेत्र है। पी.एस.यूज प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्म–निर्भर हों। पी.एस.यूज के क्रियाकलाप में व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पी.एस.यूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष के दौरान अन्तिमकृत 22 लेखाओं ने अर्हता प्रमाण–पत्र प्राप्त किए। इन लेखाओं में लेखांकन मानकों की अननुपालना के 29 उदाहरण थे। कम्पनियों के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों ने कई कमजोर क्षेत्रों को इंगित किया।

लेखाओं में बकाया तथा परिसमापन

सितम्बर 2012 को 17 कार्यचालन पी.एस.यूज के 29 लेखे बकाया थे। पी.एस.यूज हेतु लक्ष्य निर्धारित करके तथा लेखाओं को तैयार करने से संबंधित कार्य को बाहरी स्रोत से करवाकर बकायों को दूर किए जाने की आवश्यकता है। सात गैर–कार्यचालन कम्पनियां थी। चूंकि इन पी.एस.यूज की विद्यमानता से कोई प्रयोजन हल नहीं होता अतः इन्हें तुरंत बन्द किए जाने की आवश्यकता है।

विहंगावलोकन

1.1 राज्य सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यूज) बनते हैं। लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों के पालन हेतु राज्य पी.एस.यूज बनाये जाते हैं। हरियाणा में, राज्य पी.एस.यूज का राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान है। 30 सितम्बर 2012 तक उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार 2011-12 के लिए कार्यचालन राज्य पी.एस.यूज ने ₹ 21,465.56 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर 2011-12 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6.99 *प्रतिशत* के बराबर था। राज्य पी.एस.यूज की मुख्य गतिविधियां विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है। कार्यचालन राज्य पी.एस.यूज ने उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 2,541.24 करोड़ का कुल नुकसान उठाया। इनमें 31 मार्च 2012 को 0.36 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। पाँच मुख्य विभागीय उपक्रम (डी.यूज.)* भी वाणिज्यिक प्रचालन करते हैं परन्तु सरकारी विभागों का हिस्सा होने के नाते, इन डी.यूज के लेखापरीक्षा परिणाम राज्य के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक क्षेत्र/सामान्य क्षेत्र/आर्थिक (नॉन-पी.एस.यूज) क्षेत्र पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाते हैं।

1.2 31 मार्च 2012 को 29 पी.एस.यूज थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

पी.एस.यूज की किस्म	कार्यचालन पी.एस.यूज	गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज Ψ	योग
सरकारी कम्पनियाँ	20	7	27
सांविधिक निगम	2	-	2
योग	**22**	**7**	**29**

लेखापरीक्षा आदेश

1.3 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित है। कम्पनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त पूंजी सरकार द्वारा रखी जाती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की नियन्त्रित कम्पनी शामिल है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ख के अनुसार सरकार, सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा किसी भी समुच्च्य में एक कम्पनी जिसमें 51 *प्रतिशत* की प्रदत्त पूंजी रखी जाती है वह सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानक सरकारी कम्पनी) समझी जाती है।

---

* कृषि विभाग (बीज डिपो स्कीम), कृषि विभाग (कीटनाशकों का क्रय एवं वितरण), मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम), खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम) तथा परिवहन विभाग, हरियाणा रोड़वेज।

Ψ गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज वे हैं जिनका प्रचालन बंद हो गया है।

1.4 राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखे, जैसाकि ऊपर परिभाषित है, सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। ये लेखे भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत आते हैं।

1.5 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित की जाती है। राज्य भाण्डागार निगम एवं राज्य वित्तीय निगम के संबंध में लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों तथा पूरक लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा संचालित की जाती है।

राज्य पी.एस.यूज में निवेश

1.6 नीचे दिए गए विवरणानुसार 29 पी.एस.यूज (एक 619-ख कम्पनी सहित) में 31 मार्च 2012 को निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 30,881.66 करोड़ था।

(राशि: ₹ करोड़ में)

पी.एस.यूज की किस्म	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			सकल योग
	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूंजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यचालन पी.एस.यूज	8,805.99	21,544.56	30,350.55	213.35	183.03	396.38	30,746.93
गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज	24.19	110.54	134.73	-	-	-	134.73
योग	**8,830.18**	**21,655.10**	**30,485.28**	**213.35**	**183.03**	**396.38**	**30,881.66**

राज्य पी.एस.यूज में सरकारी निवेश की सार-स्थिति ***परिशिष्ट I*** में विवरणित है।

1.7 31 मार्च 2012 को राज्य पी.एस.यूज में कुल निवेश का 99.56 *प्रतिशत* कार्यचालन पी.एस.यूज में तथा शेष 0.44 *प्रतिशत* गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज में था। यह कुल निवेश, 29.28 *प्रतिशत* पूंजी एवं 70.72 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋणों से बना था। निवेश 2006-07 में ₹ 12,311.41 करोड़ से 2011-12 में ₹ 30,881.66 करोड़ होकर 150.84 *प्रतिशत* बढ़ गया

था, जैसाकि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है।

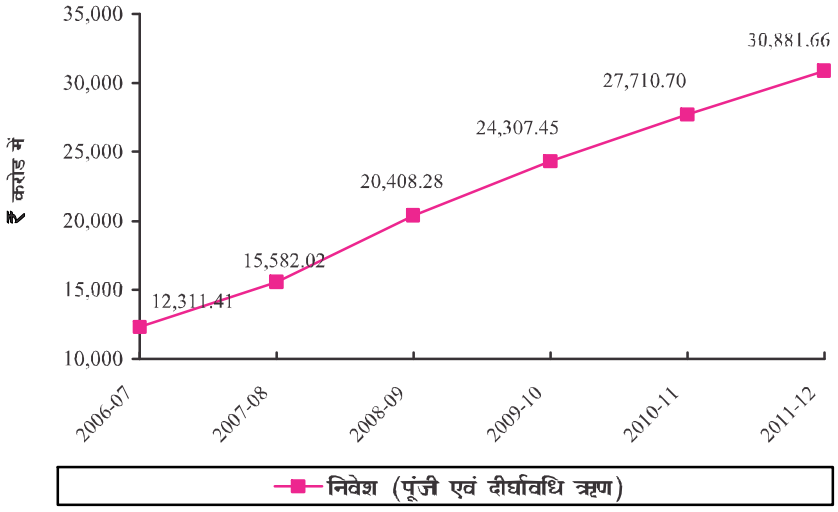

1.8 31 मार्च 2007 के अंत में और 31 मार्च 2012 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश एवं उसकी प्रतिशतता निम्न बार चार्ट में इंगित की गई है।

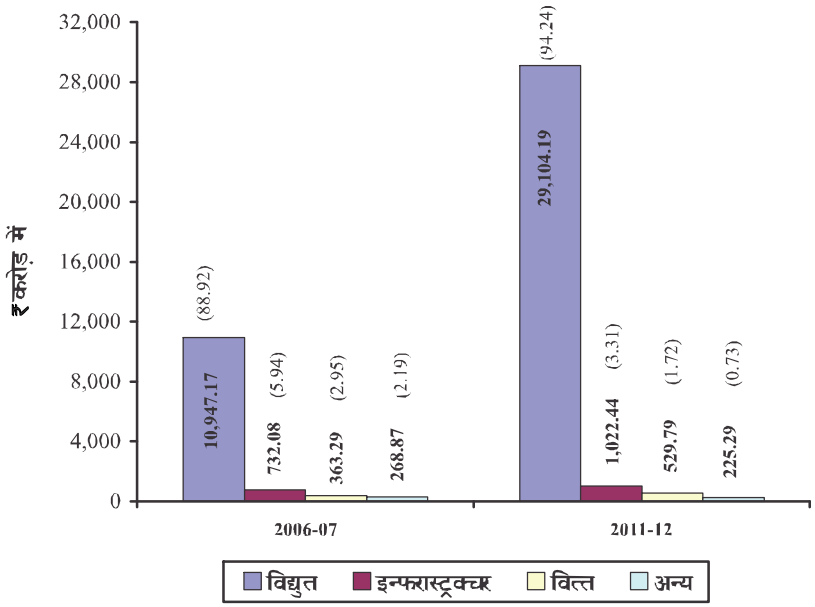

(कोष्ठकों में अंक कुल निवेश से क्षेत्रगत निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

जैसाकि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है, पी.एस.यूज में मुख्य निवेश विद्युत क्षेत्र में था जो 2006-07 के दौरान ₹ 10,947.17 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹ 29,104.19 करोड़ हो गया। मूलभूत संरचना क्षेत्र में निवेश भी 2006-07 के दौरान ₹ 732.08 करोड़ से बढ़कर

2011-12 के दौरान ₹ 1,022.44 करोड़ हो गया। पूंजी में निवेश ₹ 5,181.96 करोड़ तक बढ़ गया तथा दीर्घावधि ऋणों में ₹ 13,388.29 करोड़ तक बढ़ गया। निवेश में समग्र निवल वृद्धि ₹ 18,570.25 करोड तक थी।

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण

1.9 राज्य सरकार द्वारा राज्य पी.एस.यूज के संबंध में साम्या, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, गारंटियों के जारी किये जाने, ऋणों के बट्टे खाते डालने, ऋणों के साम्या में परिवर्तन एवं ऋण माफी के लिये बजटीय बहिर्गमन का विवरण ***परिशिष्ट 3*** में दिया गया है। 2011-12 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		पी.एस. यूज की संख्या	राशि	पी.एस. यूज की संख्या	राशि	पी.एस. यूज की संख्या	राशि
1.	बजट से साम्या पूंजी बहिर्गमन	10	903.79	9	805.74	9	726.80
2.	बजट से दिए गए ऋण	1	123.54	-	-	-	-
3.	प्राप्त अनुदान/परिदान	12	2,813.05	14	6,041.84	13	7,320.55
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	-	3,840.38	-	6,847.58	-	8,047.35
5.	प्राप्त गारंटिया	2	881.59	3	1,115.93	6	1,654.25
6.	गारंटी वचनबद्धता	12	2,714.40	12	2,549.98	10	3,596.34

1.10 साम्या, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों की ओर बजटीय बहिर्गमन का पिछले छ: वर्षों का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

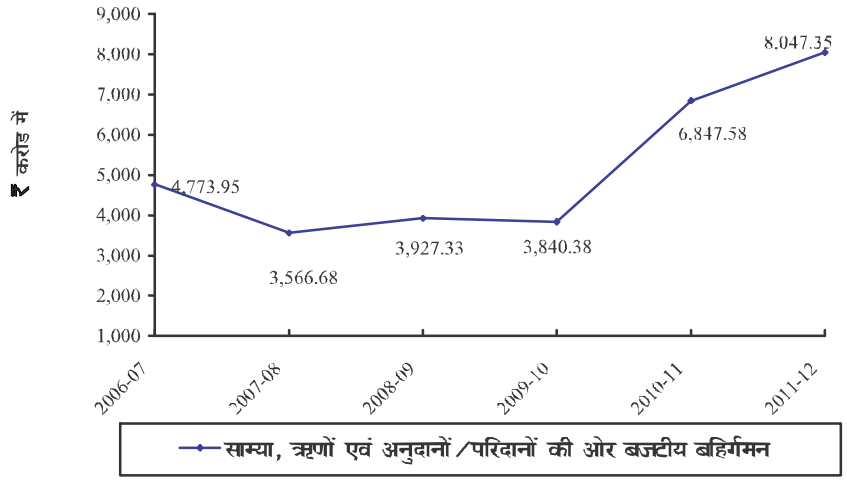

राज्य सरकार द्वारा साम्या, ऋण एवं अनुदान/परिदान की ओर बजटीय बहिर्गमन 2006-07 के दौरान ₹ 4,773.95 करोड़ से घटकर 2009-10 के दौरान ₹ 3,840.38 करोड़ हो गया तथा तत्पश्चात् तेजी से बढ़ते हुए 2010-11 के दौरान ₹ 6,847.8 करोड़ तथा 2011-12 के दौरान ₹ 8,047.35 करोड़ हो गया।

1.11 2011-12 में प्राप्त की गई गारंटी ₹ 1,654.25 करोड़ थी एवं 31 मार्च 2012 को गारंटी की बकाया राशि ₹ 3,596.34 करोड़ थी। 1 अगस्त 2001 से पी.एस.यूज द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर लिये गये सभी उधारों पर राज्य सरकार ने दो *प्रतिशत* की दर से गारंटी फीस लगा दी। राज्य पी.एस.यूज द्वारा 2011-12 में प्रदत्त/देय गारंटी फीस ₹ 16.36 करोड़ (प्रदत्त ₹ 11.06 करोड़ + देय ₹ 5.30 करोड़) थी।

वित्त लेखाओं का मिलान

1.12 राज्य पी.एस.यूज के रिकार्ड अनुसार साम्या, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों से मिलने चाहिए। आंकड़ों के मिलान न हो पाने पर, संबंधित पी.एस.यूज एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए।

31 मार्च 2012 को इस विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

(₹ करोड़ में)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	पी.एस.यूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
साम्या	6,691.38	7,197.32	505.94
ऋण	180.77	788.00	607.23
गारंटियां	3,596.34	3,596.34	0

1.13 हमने देखा कि 15 पी.एस.यूज के संबंध में अन्तर घटित था। प्रधान महालेखाकार (पी.ए.जी.) ने पी.एस.यूज द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा वित्त लेखाओं में दर्शाए गए अनुसार निवेश आंकड़ों में अंतर के मामले उनके ध्यान में लाने तथा समय-बद्ध ढंग से अंतरों के मिलान की आवश्यकता के लिए वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार (वित्त एवं आयोजना) तथा वैयक्तिक पी.एस.यूज को पत्र लिखे (नवंबर 2012)।

पी.एस.यूज का निष्पादन

1.14 पी.एस.यूज के वित्तीय परिणाम, ***परिशिष्ट 2*** में दिए गए हैं। आगे, सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन परिणाम क्रमश: ***परिशिष्ट 5*** और ***6*** में निर्दिष्ट हैं। राज्य जी.डी.पी. से पी.एस.यूज टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पी.एस.यूज की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। निम्न तालिका 2006-07 से 2011-12 तक की

समयावधि के लिए कार्यचालन पी.एस.यूज़ टर्नओवर एवं राज्य जी.डी.पी. के विवरण को दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
टर्नओवर ∝	8,251.11	14,668.00	18,424.04	15,934.48	18,756.18	21,465.56
राज्य जी.डी.पी.*	1,30,141.00	1,54,283.00	1,82,914.00	2,16,287.00	2,57,793.00	3,07,254.00
राज्य जी.डी.पी. से टर्नओवर की प्रतिशतता	6.34	9.51	10.07	7.37	7.28	6.99

पी.एस.यू. का टर्नओवर 2006 – 07 में ₹ 8,251.11 करोड़ से बढ़कर 2008 – 09 में ₹ 18,424.04 करोड़ हो गया। विद्युत सैक्टर के टर्नओवर में कमी के कारण यह 2009 – 10 में ₹ 15,934.48 करोड़ तक रह गया। 2011 – 12 में टर्न ओवर बढ़कर ₹ 21,465.56 करोड़ हो गया।

1.15 2006 – 07 से 2011 – 12 की अवधि में राज्य कार्यचालन पी.एस.यूज़ द्वारा उठाए गए घाटों को नीचे बार – चार्ट में दिया गया है।

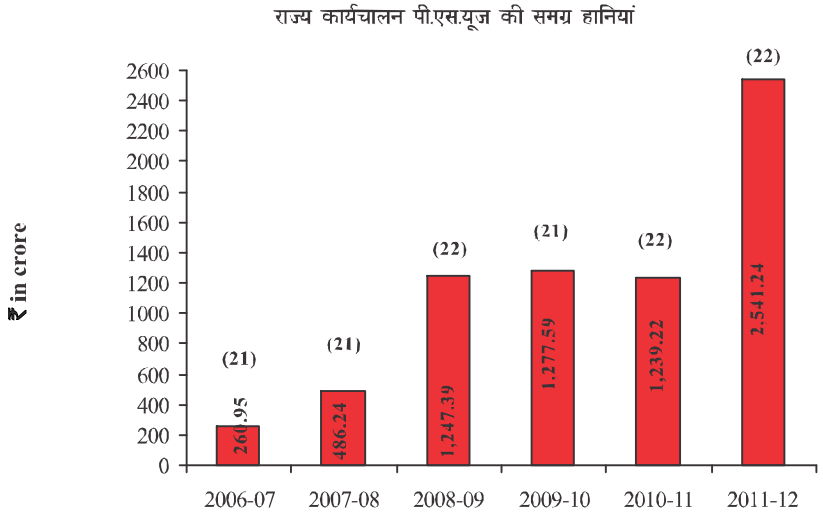

(कोष्ठकों में आंकड़े संबद्ध वर्षों में कार्यचालन पी.एस.यूज़ की संख्या को दर्शाते हैं)

वर्ष 2011 – 12 के दौरान, 22 कार्यचालन पी.एस.यूज़ में से 17 पी.एस.यूज़ ने अपने अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 298.80 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं पांच पी.एस.यूज़ ने ₹ 2,840.04 करोड़ की हानि उठाई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

∝ 2011 – 12 का टर्नओवर 30 सितम्बर 2012 को अन्तिमकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार है।

* 2007 – 08 से 2008 – 09 के आंकड़े अनन्तिम अनुमान है, 2009 – 10 के आंकड़े तीव्र अनुमान है तथा 2010 – 11 एवं 2011 – 12 के आंकड़े अग्रिम अनुमान हैं। ये आंकड़े परिवर्तन के अध्यधीन हैं।

(₹ 140.07 करोड़), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 69.95 करोड़) लाभ में मुख्य अंशदाता थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,011.24 करोड़) एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 794.22 करोड़) द्वारा भारी नुकसान उठाए गए थे।

1.16 कार्यचालन पी.एस.यूज की हानियां मुख्यत: वित्तीय प्रबन्धन योजना, परियोजना के कार्यान्वयन, उनके परिचालन एवं मानीटर करने में कमियों को आरोप्य हैं। सी.ए.जी. के पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि कार्यचालन राज्य पी.एस.यूज ने ₹ 5,431.20 करोड़ तक का घाटा उठाया जिसमें से ₹ 3,261.79 करोड़ की हानि नियंत्रणीय थी। आगे, ₹ 247.16 करोड़ के निष्फल निवेश के उदाहरण ध्यान में आए थे। तथापि, बेहतर प्रबन्धन द्वारा इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
कार्यचालन पी.एस.यूज के निवल लाभ/हानि (-)	(-)1,612.37	(-)1,277.59	(-)2,541.24	(-)5,431.20
सी.ए.जी. के प्रतिवेदन के अनुसार नियन्त्रणीय हानियां	513.03	1,251.60	1,497.16	3,261.79
निष्फल निवेश	25.96	184.23	36.97	247.16

1.17 सी.ए.जी. के प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई उपर्युक्त हानियां पी.एस.यूज के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानियां और अधिक होंगी। उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से नुकसानों को कम/दूर किया जा सकता है। यदि पी.एस.यूज वित्तीय रूप में आत्मनिर्भर हों तो वे अपना काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उपर्युक्त स्थिति पी.एस.यूज की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

1.18 राज्य पी.एस.यूज से सम्बन्धित कुछ अन्य मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पूंजी लागत पर रिटर्न (*प्रतिशत*)	2.53	2.44	-	-	1.57	-
ऋण	8,449.84	10,651.62	14,446.13	17,439.51	19,936.62	21,838.13
टर्नओवर [Y]	8,251.11	14,668.00	18,424.04	15,934.48	18,756.18	21,465.61
ऋण/टर्नओवर अनुपात	1.02:1	0.73:1	0.78:1	1.09:1	1.06:1	1.02:1
ब्याज अदायगियां	590.94	837.23	1,200.19	1,306.27	1,667.56	2,445.50
संचित लाभ/हानियां	(-)2,022.95	(-)2,678.33	(-)4,543.71	(-)5,086.93	(-)5,676.03	(-)8,622.09

(कार्यचालन पी.एस.यूज के टर्नओवर को छोड़कर उपर्युक्त आंकड़े सभी पी.एस.यूज से संबंधित हैं)।

[Y] कार्यचालन पी.एस.यूज का टर्नओवर 31 सितम्बर 2012 को उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं (2006-07 से 2011-12) के अनुसार है।

1.19 राज्य कार्यचालन पी.एस.यूज. का टर्नओवर 2006 - 07 के दौरान ₹ 8,251.11 करोड़ से 160.15 *प्रतिशत* बढ़कर 2011 - 12 में ₹ 21,465.56 करोड़ हो गया। उसी अवधि के दौरान कर्जे भी 158.44 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 8,449.84 करोड़ (2006 - 07) से ₹ 21,838.13 करोड़ (2011 - 12) हो गए।

1.20 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति का प्रतिपादन किया (अक्तूबर 2003) जिसके अधीन सभी पी.एस.यूज ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर - पूंजी पर कम से कम चार *प्रतिशत* वापसी अदा करनी है। 17 पी.एस.यूज ने उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 298.80 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया। इसमें से 12 पी.एस.यूज ने प्रदत्त पूंजी का अधिक से अधिक चार प्रतिशत लाभ अर्जित किया। तथापि, केवल तीन पी.एस.यूज[♣] ने ₹ 95.21 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

1.21 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 - क और 619 - ख के अधीन कम्पनियों के हर साल के लेखे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर अंतिमकृत हो जाने चाहिए। उसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखे उनके क्रमशः संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकृत, लेखापरीक्षित एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यचालन पी.एस.यूज के द्वारा 30 सितम्बर 2012 तक लेखाओं के अन्तिमकरण के लिए की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यचालन पी.एस.यूज की संख्या	21	22	21	22	22
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमकृत लेखाओं की संख्या	22	23	17	23	22
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	27	26	30	29	29
4.	औसत बकाया प्रति पी.एस.यू. (3/1)	1.38	1.23	1.38	1.32	1.32
5.	कार्यचालन पी.एस.यूज, जिनके लेखे बकाया हैं, की संख्या	15	12	16	17	17
6.	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 5	1 से 5	1 से 6	1 से 5	1 से 4

1.22 जैसा कंपनियों द्वारा बताया गया लेखाओं के अन्तिमकरण की देरी के लिए मुख्य कारण, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और लेखा क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण नहीं होना हैं।

1.23 उपर्युक्त के अतिरिक्त, गैर - कार्यचालन पी.एस.यूज द्वारा भी लेखाओं के अन्तिमकरण में बकाया थे। पांच गैर - कार्यचालन पी.एस.यूज, (परिसमापनाधीन को छोड़कर) के लेखे एक से चार वर्षों के लिये बकाया थे।

♣ हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड तथा हरियाणा भाण्डागार निगम।

1.24 राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान जब लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है, 12 पी.एस.यूज में ₹ 2,030.89 करोड़ (साम्या: ₹ 343.22 करोड़, अनुदान: ₹ 37.16 करोड़ और अन्य: ₹ 1,650.51 करोड़) का निवेश किया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 4*** में विवरण दिया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों की उल्लंघना के अतिरिक्त लेखाओं के अन्तिमकरण में देरी, लोक धन के धोखाधड़ी एवं रिसाव के खतरे में भी परिणित हो सकती है। वे वैधानिक निरीक्षण से भी बच निकलते हैं।

1.25 प्रशासनिक विभागों के पास इन तत्वों की गतिविधियां देखने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन पी.एस.यूज द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया है एवं अपनाया गया है। पी.ए.जी. लेखा के बकायों की स्थिति संबंधित प्रशासनिक विभागों के ध्यान में लाएं, फिर भी, इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप हम इन पी.एस.यूज के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं कर सके। लेखाओं में पुराने बकायों को समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने के लिए लेखाओं में बकायों का मामला पी.ए.जी. ने मुख्य सचिव के साथ भी उठाया (अगस्त 2012) किंतु सुधार नहीं किया जा सका।

1.26 **बकाया की उपर्युक्त स्थिति के दृष्टिगत यह सिफारिश की जाती है कि:**

- **बकाया की निकासी के निरीक्षण के लिए सरकार एक सैल बना सकती है और प्रत्येक कम्पनी के लिए लक्ष्य निश्चित कर सकती है, जिसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।**
- **सरकार आवश्यक निपुणता वाली एजेंसियों की सेवाएं लेने पर विचार कर सकती है।**

गैर – कार्यचालन पी.एस.यूज को बन्द करना

1.27 31 मार्च 2012 को सात गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज (सभी कम्पनियां) थी। इनमें से दो पी.एस.यूज* परिसमापन के अधीन हैं, तथापि, परिसमापन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।

गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज को बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि उनके आस्तितव से कोई फायदा नहीं है। 2011-12 के दौरान, चार गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज ने स्थापना पर ₹ 45.40 लाख का व्यय किया। यह व्यय बैंकों से प्राप्त ब्याज (₹ 20.08 लाख) तथा परिसम्पत्तियों के निपटान (₹ 25.32 लाख) के माध्यम से वहन किया गया था।

1.28 कम्पनी अधिनियम, के अधीन स्वैच्छिक बन्द करने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है और जोरदार ढंग से अपनाए जाने की जरूरत है। पांच गैर-कार्यचालन पी.एस.यूज, जिनके गैर-कार्यचालन होने के बाद उनको जारी रखने अथवा अन्यथा के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, को बन्द करने का सरकार निर्णय ले सकती है। सरकार गैर-कार्यचालन कंपनियों को बन्द करने के कार्य को तीव्र करने के लिए एक सैल बनाने के बारे में विचार कर सकती है।

---

* हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड तथा हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.29 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 के दौरान 16 कार्यचालन कम्पनियों ने अपने 20 लेखापरीक्षित लेखे अग्रेषित किए। 19 लेखाओं के संबंध में पूरक लेखापरीक्षा की गई थी तथा 10 लेखाओं के लिए असमीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं सी.ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सी.ए.जी. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं।

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	7	582.21	10	728.13	6	72.34
2.	हानि का बढ़ना	3	97.34	6	1,446.11	8	3,025.35
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	3	40.94	2	20.12	1	0.55
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	6	669.85	4	62.10	-	-
	योग		**1,390.34**		**2,256.46**		**3,098.24**

अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार टिप्पणियों का धन मूल्य ₹ 81.78 करोड़ (2009-10) से बढ़कर ₹ 140.83 करोड़ (2011-12) हो गया।

1.30 वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं के सांक्षेप प्रमाण-पत्र प्रदान किये। हमने यह भी देखा कि कम्पनियों की लेखा मानकों (ए.एस.) की अनुपालना हल्की रही। वर्ष के दौरान 11 लेखाओं में ए.एस. से अनुपालना न करने के 41 उदाहरण थे।

1.31 कम्पनियों के लेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से कुछेक को नीचे दिया गया है।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2011-12)

- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के शेयरों में निवेश के मूल्य में डिमिन्यूशन का प्रावधान न होने के कारण ₹ 844.18 करोड़ तक लाभ का अतिकथन हुआ।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2010-11)

- ए.एस.-9 के उल्लंघन में हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के अनुमोदन हेतु लंबित दावों के आधार पर कंपनी द्वारा ₹ 740.37 करोड़ के ईंधन अधिभार समायोजन से राजस्व के लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 740.37 करोड़ तक हानि का अवकथन हुआ।

- पूंजीगत कार्य की विलंबित आपूर्ति तथा निष्पादन के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से वसूली गई परिसमापक क्षतियों के रूप में प्राप्त की गई आय निर्माण कार्यों की लागत की बजाय अन्य आय को क्रेडिट की गई थी परिणामस्वरूप अचल परिसम्पत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य तथा अन्य आय का ₹ 32.54 करोड़ तक अतिकथन हुआ।
- संचारण प्रभारों के विलंबित भुगतान के कारण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को देय ₹ 28.94 करोड़ की देयता का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप समान राशि तक हानि का अवकथन हुआ।
- हरियाणा विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड से खरीदी गई बिजली हेतु संशोधित टैरिफ दर का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 103.02 करोड़ तक हानि का अवकथन हुआ।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2010 – 11)

- ₹ 11.56 करोड़ की सीमा तक परिकलित हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली के मूल्यह्रास के अवप्रभारण के परिणामस्वरूप उसी सीमा तक हानि का अवकथन हुआ।
- राज्य सरकार से परिदान के कारण अवसूलनीय प्राप्य हेतु प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 80.91 करोड़ की सीमा तक वर्ष के लिए प्राप्यों का अतिकथन तथा हानि का अवकथन हुआ।

हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2010 – 11)

- गुड़गांव में भूमि की बिक्रियों से आय तथा ₹ 6.19 करोड़ के ब्याज पर ₹ 38.70 करोड़ के आय कर का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप ₹ 44.89 करोड़ तक लाभ का अतिकथन हुआ।

1.32 उसी प्रकार, हरियाणा भाण्डागार निगम (एच.डब्ल्यू.सी.) ने अपने वर्ष 2010-11 के खातों को तथा हरियाणा वित्त निगम (एच.एफ.सी.) ने वर्ष 2011-12 के लिए अपने खातों को 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान पूरक लेखापरीक्षा के लिये भेजा। एक सांविधिक निगम अर्थात् एच.डब्ल्यू.सी. की टिप्पणियां अंतिमकृत की गई थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता का सुधार किए जाने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी.ए.जी. की टिप्पणियों के कुल धन मूल्य के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	4.62	1	1.87	2	2.77
2.	हानि में वृद्धि	-	-	-	-	1	30.80
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	1	147.23	-	-	-	-
	योग		**151.85**		**1.87**		**33.57**

1.33 1 अक्तूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 2010-11 के एच.डब्ल्यू.सी. के लेखे अर्हत किए। उपर्युक्त लेखाओं में ए.एस. के साथ अवमानना के शून्य उदाहरण थे।

1.34 एच.एफ.सी. के लेखाओं के संबंध में एक टिप्पणी नीचे दी गई है:

हरियाणा वित्तीय निगम (2010-11)

- निगम के नई व्यापार गतिविधियां बंद करने के निर्णय के कारण ए.एस.-22 के अनुसार 31 मार्च 2011 को ₹ 30.80 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा न करने के परिणामस्वरूप आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा लाभ का ₹ 30.80 करोड़ तक का अतिकथन हुआ।

1.35 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत उनको, सी.ए.जी. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां सुधार की जरूरत है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहां सिफारिशें की गई थी	*परिशिष्ट-2* के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	स्टोर एवं स्पेयरज की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	4	ए1, ए3, ए9, ए12
2.	कम्पनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	3	ए5, ए6, ए13
3.	मात्रा विवरण, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, परिसम्पतियों की मूल्य ह्रास के बाद कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए उनके पूरे विवरण को दिखाने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण न करना	4	ए5, ए6, ए9, ए14
4.	माल के क्रय पर आन्तरिक नियंत्रण की कमी	1	ए9
5.	आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अपर्याप्त/अविधमान होना	3	ए5, ए6, ए13
6.	कंप्यूटर प्रणाली (ई.डी.पी.) का प्रयोग न होना	2	ए1, ए9

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

1.36 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान ₹ 17.90 करोड़ की वसूलियां हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबन्धन को बताई गई थी, जो पी.एस.यूज़ द्वारा स्वीकार कर ली गई थी एवं वर्ष 2011-12 के दौरान वसूल कर ली गई थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

1.37 निम्नलिखित तालिका 2011-12 के दौरान सरकार द्वारा विधानसभा में सी.ए.जी. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस.ए.आरज) के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को दर्शाती है:

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक एस.ए.आरज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके एस.ए.आरज विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किए गए		
			एस.ए.आर का वर्ष	निगम द्वारा सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण
1.	हरियाणा वित्तीय निगम	2010-11	अंतिमकरणाधीन		
2.	हरियाणा भाण्डागार निगम	2008-09	2009-10	प्रक्रियाधीन	लागू नहीं
			2010-11	प्रक्रियाधीन	लागू नहीं

पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.38 राज्य सरकार ने 2011-12 के दौरान अपने किसी भी पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।